

प्रेषक,

अरुण कुमार सिंह  
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/दुमका;  
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी;  
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

राँची, दिनांक : 28/7/18

विषय :- मॉग संख्या-50-जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग) के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-4702- लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उप शीर्ष-19-नई लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण, विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण, 45 निर्माण कार्य, विपत्र कोड 50S470200796190545 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय हेतु निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष 4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय के अंतर्गत परिशिष्ट-1 में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालयों को आवंटन संसूचित किया जाता है :-

| क्र. | मॉग संख्या/मुख्य शीर्ष                                                       | लघु शीर्ष/उप शीर्ष                                                  | विस्तृत शीर्ष/विपत्र कोड                                    | आवंटित राशि<br>(लाख रु. में) |
|------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1    | 2                                                                            | 3                                                                   | 4                                                           | 5                            |
| 1.   | 50-जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग) / 4702- लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय | 796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना / 19 - नई लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण | 05-निर्माण, 45 निर्माण कार्य, विपत्र कोड 50S470200796190545 | 800.00                       |

आवंटित राशि - ₹ आठ करोड़ मात्र।

- आवंटित राशि वर्ष 2018-19 के बजट उपबंध रु. 1000.00 लाख (दस करोड़) मात्र के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98, 1800 (वि.) दि. 15.07.2003, 1363 दि. 09.05.2016 तथा 2747(वि.), दिनांक-19.09.16 के आलोक में होगा।
- आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति में वर्णित शर्तों का अक्षरशः पालन करते हुए तकनीकी स्वीकृति एवं स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम के अंतर्गत परिशिष्ट 1 पर वर्णित कार्यों के अनुरूप किया जायेगा।
- संबंधित मुख्य अभियंता एवं संबंधित अधीक्षण अभियंता योजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
- सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।
- राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।

(राजेन्द्र प्रसाद)  
उप सचिव (अभि.)(रमेश कुमार दूबे)  
विशेष सचिव(आर.एस. तिग्गा)  
अभियंता प्रमुख-2

9. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
10. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगे। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
11. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
12. AIBP योजनाओं के लिए MOU में भारत सरकार द्वारा अंकित सभी अनुदेशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। साथ ही तत्संबंधी प्रतिवेदन विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जाय।
13. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार राँची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
14. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 31 दिसम्बर 2018 तक निश्चित रूप से कर देंगे। साथ ही यदि किसी इकाई में आवंटित राशि का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरिक्त राशि का यथाशीघ्र प्रत्यर्पण कर दिया जाय। राशि का प्रत्यर्पण, Online उप शीर्षवार किया जाय एवं पूर्ण प्रत्यर्पण प्रतिवेदन Hard Copy में Access No तथा Revoke No/Surrender No (संबंधित LOC No सहित) का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।

नोट : आवंटित राशि को Online Allotment System द्वारा निर्गत किया जा चुका है जिसका Access no संलग्न परिशिष्ट के स्तंभ 12 में अंकित है। यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनु. :- यथोक्त

  
(अरुण कुमार सिंह) 27.7.18  
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :- 42

राँची, दिनांक :- 28/7/18

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड पो.- हिनू, राँची/कोषागार पदाधिकारी, राँची/डोरण्डा/खूँटी/गुमला/जमशेदपुर/जामताड़ा सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक-यथोक्त।

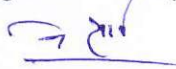
  
(अरुण कुमार सिंह) 27.7.18  
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :- 42

राँची, दिनांक :- 28/7/18

प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव योजना-सह-वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.) राँची/अभियंता प्रमुख -I एवं II जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.), जल संसाधन विभाग/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक-यथोक्त।

  
(राजेन्द्र प्रसाद)  
उप सचिव (अभि.)

  
(रमेश कुमार दूबे)  
विशेष सचिव

  
(आर.एस. तिग्गा)  
अभियंता प्रमुख-2

  
(अरुण कुमार सिंह) 27.7.18  
अपर मुख्य सचिव

पत्रांक - 42

/सैवी, दिनांक - 28/01/18

परिशिष्ट - 1

मौग संख्या-50-जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग)

मुख्य शीर्ष - 4702 लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय

लघु शीर्ष - 796-जन जातीय क्षेत्रीय उपयोगना,

उपशीर्ष - 19-नई लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण

विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण, 45 निर्माण कार्य, विपत्र कोड-50S470200796190545

बजट उपबंध (2018-19) रु. 1000.00 लाख (दस करोड़) मात्र।

(राशि लाख में)

| क्र. सं.  | कार्यालय का नाम                           | जिला           | प्रखण्ड                                  | योजना का नाम                                     | प्रशासनिक स्वीकृति का |          | मार्च 2018 तक व्यय | वित्तीय वर्ष 2018-19 में आवंटन |               |                 |       | On-line Allotment Access No. | अभ्युक्ति |
|-----------|-------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|----------|--------------------|--------------------------------|---------------|-----------------|-------|------------------------------|-----------|
|           |                                           |                |                                          |                                                  | प्रस्तां              | राशि     |                    | पूर्व का आवंटन                 | वर्तमान आवंटन | कुल आवंटित राशि |       |                              |           |
| 1         | लघु सिंचाई प्रमंडल, खूंटी (RNCIRRK01)     | सैची           | बुण्डू                                   | तलसंडी वीयर योजना निर्माण                        | 76/08.02.18           | 54.7040  | 0.00               | 0.00                           | 45.00         | 45.00           | 42846 |                              |           |
| 2         | लघु सिंचाई प्रमंडल, सैची (RNCMAIR001)     | सैची           | चान्हो                                   | नवरंगा नाला पर वीयर योजना निर्माण                | 76/08.02.18           | 138.4840 | 0.00               | 0.00                           | 100.00        | 100.00          | 42847 |                              |           |
| 3         | लघु सिंचाई प्रमंडल, गुमला (GMLJRR006)     | गुमला          | रायडीह                                   | शिमला नाला पर वीयर का निर्माण                    | 76/08.02.18           | 213.2000 | 0.00               | 0.00                           | 400.00        | 400.00          | 42848 |                              |           |
| गुमला     |                                           | घाघरा          | जमनाई केरा झरिया नाला पर वीयर का निर्माण | 182.0730                                         |                       |          |                    |                                |               |                 |       |                              |           |
| गुमला     |                                           | गुमला          | तेलहासिया र गरहा नाला पर वीयर का निर्माण | 101.4240                                         |                       |          |                    |                                |               |                 |       |                              |           |
| गुमला     |                                           | पालकोट         | वंगरू नदी पर वीयर का निर्माण             | 159.1670                                         |                       |          |                    |                                |               |                 |       |                              |           |
| गुमला     |                                           | पालकोट         | पिंजरा नदी पर वीयर का निर्माण            | 205.0290                                         |                       |          |                    |                                |               |                 |       |                              |           |
| 8         | गुमला                                     | रायडीह         | कुरु नाला पर वीयर का निर्माण             | मिलमिली नाला पर वीयर का निर्माण                  | 171.0190              | 144.7250 |                    |                                |               |                 |       |                              |           |
| 9         | गुमला                                     | रायडीह         |                                          |                                                  |                       |          |                    |                                |               |                 |       |                              |           |
| 10        | लघु सिंचाई प्रमंडल, जमशेदपुर (JSRMAIR001) | पूर्वी सिंहभूम | चकुलिया                                  | ग्राम पारसिया में मरिया खाल नाला पर वीयर निर्माण | 76/08.02.18           | 80.3400  | 0.00               | 0.00                           | 90.00         | 90.00           | 42849 |                              |           |
| 11        | लघु सिंचाई प्रमंडल, जामताड़ा (JMTMAIR022) | जामताड़ा       | चकुलिया                                  | खिजुरिया नाला पर वीयर निर्माण                    | 76/08.02.18           | 50.2200  | 0.00               | 0.00                           | 165.00        | 165.00          | 42850 |                              |           |
| फतेहपुर   |                                           |                | परधाराबाद ग्राम के पास वीयर का निर्माण   | 55.0350                                          |                       |          |                    |                                |               |                 |       |                              |           |
| फतेहपुर   |                                           |                | सीताकुण्डी ग्राम के पास वीयर का निर्माण  | 53.9250                                          |                       |          |                    |                                |               |                 |       |                              |           |
| जामताड़ा  |                                           |                | संथालहीर ग्राम के पास वीयर का निर्माण    | 55.4120                                          |                       |          |                    |                                |               |                 |       |                              |           |
| नारायणपुर |                                           |                | नावाडीह ग्राम के पास वीयर का निर्माण     | 57.9390                                          |                       |          |                    |                                |               |                 |       |                              |           |
| योग       |                                           |                |                                          |                                                  |                       | 0.00     | 0.00               | 800.00                         | 800.00        |                 |       |                              |           |

आवंटित राशि – ₹ आठ करोड़ मात्र।

आवंटित राशि - ₹ आठ करोड़ मात्र।

(राजेंद्र प्रसाद)

उप सचिव (अभि.)

(रमेश कुमार द्वे)

विशेष सचिव

(आर.एस. तिगा)

अभियंता प्रमुख-2

(अरुण कुमार सिंह)

अपर मुख्य सचिव